न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–03, आजमगढ़
उपस्थित– जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय,
(एच०जे०एस०)
J.O.Code U.P. 2398

UPAZ010105282024

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–4932/2024

1.तौहिद उम्र लगभग 44 वर्ष पुत्र मुजामिल
2. राजेश उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र रामधारी यादव
साकिनान बनकट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

.....आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० सरकार .....विपक्षी

मु०अ०सं०–404/2023
धारा–452, 323, 504, 506 भा०द०सं०
थाना–मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

दिनाँक–24.10.2024

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्थानीय थाना मुबारकपुर के मुकदमा अपराध संख्या–404/2023, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 भा०द०सं० के मामले में आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो सुनवाई हेतु आज नियत है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में फौजदार गौतम द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सरफराज द्वारा इस आशय की तहरीर दी गयी कि जब तौहीद गैस एजेंसी का गैस सप्लायर राजेश यादव उसके गाँव में गैस बाटल की गाड़ी लेकर आया और उसने गैस लिया और 1185 रूपया दिया तो उसने कहा कि 1220 रूपया चाहिए तब वादी मुकदमा ने कहा कि लिखकर दो और वीडियो रिकार्डिंग करते हुए 1220 रूपया पेड किया। इसी बात की रंजिश को लेकर सायं करीब पाँच बजे शाम को तौहीदव राजेश यादव माँ बहन की गाली देते हुए घर में घुस कर लात मुक्का से मारने लगे व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है रंजिशवश व साजिशवश

Digitally signed by JAINENDRA KUMAR PANDEY
Date: 2023.10.24 16:18:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। तथाकथित घटना झूठी, काल्पनिक व मनगढ़ंत है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा मनबढ़ व दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिसने आवेदक सं०–2 डिलेवरी मैन से बिना पैसा दिये सिलेण्डर लिया था और विरोध करने पर मारा पीटा था जिसके सम्बन्ध में आवेदक सं०–1, जो गैस एजेंसी का प्रोपराइटर है, ने थाना जीयनपुर में अपराध सं०–387/2023 धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० दर्ज कराया था, इसी से बचने के लिए विधिक राय मशविरा करके अत्यन्त विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिल्कुल झूठी व बेबुनियाद है तथा मानव स्वभाव के विपरीत है। आवेदकगण अग्रिम जमानत की शर्तों का पूर्णतया पालन करेंगे। पुलिया या माननीय न्यायालय द्वारा जब भी बुलाया जायेगा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे और विचारण में सहयोग करेंगे। आवेदकगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। उपरोक्त आधार पर आवेदक /अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय में कार्यरत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई आधार नहीं है। आवेदक /अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निराधार है, खारिज किया जाये।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर मुख्य आरोप यह है कि जब वादी मुकदमा की गैस एजेंसी से सिलेण्डर लेकर डिलेवरी मैन डिलेवरी करने अभियुक्त के घर गया और वादी मुकदमा से गैस का अधिक पैसा माँगने का विरोध किया गया तो अभियुक्तगण ने घर में घुस कर लात मुक्का से मार पीट कर, गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। आहत को साधारण प्रकृति की चोटें आना बतायी गयी हैं। मामला 07 वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्रस्तुत किया गया है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना **Satendra Kumar Antil Vs Central Beauro of Investigation and another (2021) 10 S C C 773** में दी गयी व्यवस्था के प्रकाश में आवेदकगण/ अभियुक्तगण की ओर प्रस्तुत अग्रिम जामनत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त तौहीद व राजेश यादव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक द्वारा रू० 50,000/ (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि का दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रकरण के विचारण में सहयोग करेगा,

2. गवाहों पर अनुचित दबाव नहीं डालेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा,,

3. आरोप सृजित करते समय, अभियुक्तगण का बयान अंकित किये जाते समय या न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर किसी भी समय अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करायेगा,

4. न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर विदेश/बाहर नहीं जायेगा,

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय अग्रिम जमानत निरस्त कर सकेगा।

दिनाँक–24.10.2024

(जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–03, आजमगढ़